संख्या:34/xxvii(7)/2012

प्रेषक,

शरद चन्द्र पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी,2012

विषयः–राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों के कार्य को विकेन्द्रीकृत किया जाना एवं आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

राज्य के उपकोषागारों को पूर्व की भांति क्रियाशील किये जाने के परिपेक्ष्य में आहरण वितरण अधिकारियों के कार्यो को विकेन्द्रीकृत किये जाने संबंधी वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17 अक्टूबर,2011 के कम में निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या:1530/नि0को0वि0से0/21(24)/2011, दिनांक 02 नवम्बर,2011 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्धारण से संबंधित पूर्व में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए एतदद्वारा संलग्न सूची में वर्णित 3686 आहरण वितरण अधिकारियों को तद्नुसार आवंटित कोड से अपने-अपने कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी का कार्य सम्बद्ध कोषागार/उपकोषागार से व्यवहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आहरण वितरण अधिकारी घोषित किये जाने की स्वीकृति पूर्व की भांति शासन स्तर से जारी की जायेगी, परन्तु आहरण वितरण अधिकारी के कोड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा नया कोड आंवटन का कार्य निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(शरद चन्द्र पाण्डेय,)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या:34/xxvii(7)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक कोषागार।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक कोषागार ।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

391